हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 72

बुधवार, 4 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

बैठक के आरंभ में माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की -

"आज प्रातः नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कोरोना वायरस विषय पर नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा हेतु सूचना प्राप्त हुई है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस, जिसके कारण पूरा विश्व भयभीत हैं, उस पर वक्तव्य देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से भी मुझे सूचना मिली है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं वस्तुस्थिति से इस माननीय सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को अवगत करवाना चाहता हूँ। "

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा हेतु दी गई सूचना पर चर्चा न करवा कर मुख्य मंत्री से इस विषय में वक्तव्य दिलवाए जाने का विरोध किया।

(कांग्रेस विधायक दल ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की तथा 11.15 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

मुख्य मंत्री द्वारा वाक्तव्य

मुख्य मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन स्थिति तथा प्रदेश सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों बारे वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री ने कोरोना वायरस जैसे संवेदनशील विषय पर विपक्ष द्वारा चर्चा न कर बहिर्गमन करने की भी कड़ी निंदा की।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2506 से 2511 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2512 से 2539 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 880 से 889 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य, लोक उपक्रम समिति ने (वर्ष 2019-20), समिति का 20वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

3. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह, सदस्य, कार्य-सलाहकार समिति ने समिति का दशम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसे अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने श्री सुन्दर सिंह ठाकुर द्वारा अपनी चर्चा में ट्राउट मछली के जम्मू कश्मीर से लाए गए अण्डों में वायरस होने की बात पर स्पष्टीकरण दिया।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने बद्दी में मैसर्ज गलैमर हैल्थ केयर प्राइवट लिमिटिड, साई रोड, बद्दी द्वारा बिना लाइसेंस के कंपनी चलाने व नकली दवाइयां बनाने का विषय सामने आने तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई बारे वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री ने वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाल एकीकृत विकास परियोजना (IDP Project) के लिए विश्व बैंक से ऋण स्वीकृति मिलने व इस राशि से किए जाने वाले विकास कार्यों बारे भी वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री ने शिमला शहर में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SJPNL द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे शिमला वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज प्रोजेक्ट की शत-प्रतिशत लागत को वर्ल्ड बैंक द्वारा वहन करने बारे भी वक्तव्य दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर टीका-टिप्पणी की तथा यह सब ब्यौरा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में देने हेतु कहा।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री ने BRICS तथा ADB के अन्तर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं जैसे कि एन.डी.पी., शिवा प्रोजैक्ट आदि के बारे में विस्तृत वक्तव्य दिया।

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण -

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा में भाग लिया -

1. **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु द्वारा अपनी चर्चा के दौरान प्रयोग किए गए असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने बारे अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष ने सभी असंसदीय शब्दों का कार्यवाही से निकाला।

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

2. **श्री सुख राम**
3. **श्री जगत सिंह नेगी**

श्री जगत सिंह नेगी द्वारा अपना चर्चा में अनुच्छेद 370 व जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक स्थिति का बार-बार ज़िक्र करने पर शिक्षा मंत्री ने विरोध जताया। इस पर दोनों ओर से टीका-टिप्पणी हुई।

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए श्री जगत सिंह नेगी तथा बाद में विपक्ष के सभी सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री की ओर से कहे गए कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकाला गया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना आरम्भ किया। उत्तर के बीच में ही कांग्रेस विधायक दल ने 4.08 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।

मुख्य मंत्री ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर अपना उत्तर पूर्ण किया। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल द्वारा उत्तर के बीच में किए गए बहिर्गमन की घोर निंदा की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का,**
> **दिनांक 25 फरवरी, 2020 को उन्हें संबोधित करने**
> **के लिए, ह्रदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

04.31 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 05 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।